



294/1

पुस्तक - 2206709  
2206710

नगर पालन केन्द्र, 10 वर्षीय वर्ष, जखनल 220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
सेवा में,

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-आगरा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
देना बैंक	072410027581	IFSC Code BKDN0720724	456.567 (घनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की घनराशि का प्रेषण
1	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 24 टेढ़ी बगिया (उदय नगर गरिजद) में श्री गुना बघेल के कोने से अनीस खों एवं राजय खों तक, सोबरन सिंह रो सूरजपाल तक, सूरजपाल से बहावुद्दीन तक, मोहिनउद्दीन खों रो मजिनद तक, साहवुद्दीन खों से मुन्ना बघेल तक, जबरुद्दीन रो टेलर मास्टर दुर्गपाल एवं मौ० इकबाल से अनीरा खों एवं संजय खों तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	62.386
2	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	मौ० शिवामुन्ज में पी०ए० स्कूल रो किशोर कुमार तक, सलीम रो सुरेश दिवाकर तक, अगवर से सुधीर तक, सतीश से केशव तक, हाजी निजाम के सामने रो पी०पी० नगर पुलिया तक, हाजी निजाम से गौहमद खालिद, कल्यना बघेल वाली गली, इमरान रो महेन्द्र, महेन्द्र रो राजय एवं मन्दिर से रेनू वकील तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	47.559
3	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	वार्ड नं० 03 करबला में अफसान रो गौ लियाकत, मौ० लियाकता रामाल तक, निजारा रो चानू तक, निरासुद्दीन से खालिद तक, लाल हुजरा चौक से आवास विकास पुलिया तक, शरीफ से शोश भेस वाले तक, शोश भेस वाले से राजू मूलचन्द तक, इरफान रो लश्कर कालीनी खड़नजा तक, अबुल सलाम रो जगन्मुर नाले तक गहरी नाली निर्माण एवं टीटू के मकान से मुगल रोड तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	63.462
4	आगरा	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० आगरा	नगला प्यारेलाल नई आवादी गैंग शिल्पग्राम मुख्य गार्म से भारतीय बाल स्कूल तक, मुजाइद्दीन खों से भारतीय बाल मन्दिर स्कूल तक, रमेशाजी वाली गली एवं गिरधारी लाल वाली गली तक नाली व इंटरलाकिंग राड़क का निर्माण कार्य।	20.899



294/2

दूरध्वा- 2206709

2206710

नव घोना केन्द्र, 10 अशोक नगर, सतनाम-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किरत की धनराशि का प्रेषण
5	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	बीच का उखरा, छोटा उखरा में मुख्य सी०सी० मार्ग से सीताराम, राज कुशवाह से इसुबखान तक, वेद प्रकाश से तिल्लू वालीकि, नरेश वालीकि से राजा वालीकि, राजा से वेद प्रकाश, शान्ति फार्म के सामने वाली गली, बनवारी के मकान से मुरारीतक, मुरारी से राजू, लाकिम सिंह से विजेन्द्र, रामजीलाल से धन सिंह, ऊप सिंह के बगल वाली गली, हरी सिंह से प्राइमरी पाठशाला, मन्दिर से महेन्द्र सिंह, कुआ से हरीचन्द, महेन्द्र सिंह से रामेश्वर, अतरा से निहालो, आशूराम से परम प्रधान, ज्वाला प्रराद से गोदन रिंह, मान सिंह से चरगोली, निरपता सिंह वाली गली, उदयपाल सिंह से नरेन्द्र पाण्डेय, विजय सिंह से राज कुमार राजपूत, देवी सिंह से दाराचन्द, निहाल रिंह से मान सिंह, शिव मन्दिर से सुप्रेर सिंह तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	66.394
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	वार्ड संख्या 72 में नगला टीम की वालीकि बस्ती में दीर्घ के घर से कृपाल सिंह तक, कृपाल सिंह से सामुदायिक केन्द्र तक, बादू वालीकि से ओमी तक, ओमी से किशन तक, श्याम पहलावान से गोपीचन्द, शिल्पग्राम मुख्य मार्ग से भागीरथ स्कूल तक, शिल्पग्राम मुख्य मार्ग पी भण्डार से गौरी आरिक तक एवं जालमा बालन्दी के किनारे वालीकि बस्ती में पूर्न से मंगल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.251
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	वार्ड स0 72 नगला टीम में सत्यप्रकाश लोधी से लौलाघाट तक, किशोर से दिनेश कुमार तक, राजू के मकान से चकलेश्वर महादेव मन्दिर तक, चकलेश्वर महोदय मन्दिर रोजेन्द्र तक, महावीर सिंह नाई से राज कुमार तक, प्रयाम सिंह यादव से राजवीर सिंह तक, राजवीर सिंह से उजागर सिंह तक एवं मनोज से मिजाजी लाल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.244
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	नगला पटी में श्री राम दयाल से भीम वाटिका, विनोद से प्रताप, रामबादू वाली गली एवं बसन्त वाली गली में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	22.109
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	कर्कोठा में श्री राम नरायन से विजय किशोर, विजय किशोर से सुन्दर सिंह, राज कुमार से रामपाल, राकेश से सुपापदन्द, शिवा से मन्दिर, लाखन सिंह से दीलराम, बलवीर से प्रेमपाल एवं सोहनलाल से भगवानदास तक में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.939
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	गैलाना में माता रसीद से जगदीश दिवाकर, राजन रिंह से धारिया, धारिया से मुना, थोलेवाला से अलवर, जय प्रकाश से गालान, मुरारी से धीरज, गंगा सिंह से गीशाला, बनखण्डी मन्दिर से पुलिया, आटा चक्की से प्रोविजन स्टोर एवं कुए से पापू तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	49.778
	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0निं० आगरा	जौशियान गौहला वालीकि बस्ती में श्री वृजगोहन से बन्द्रभान, कमल के घर से रटोर तक, राधेलाल के घर से	38.546



२९५/३

प्रकाशन - 2288709  
2288710

नव बेतान गोन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मतिन	निकाय का नाम	इस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
योग				सिंह स्टोर तक, कमल के घर से राधेलाल के घर तक अग्निल के घर से कपूरबन्द के घर तक, अमित के घर से अग्निल के घर तक, अमित वाली गली में पुरुषोत्तम के घर से अमित के घर तक, प्रभुदयाल वाली गली, कुन्दन लाल वाली गली, चन्द्रालल के घर से पुरुषोत्तम के घर तक, चन्द्रलाल के घर से पप्पन के घर तक, पप्पन के घर से नाले तक, मुकेश के घर से बीघाराम के घर तक, हीरालाल वाली गली, मुकेश के घर हैंडपम्प तक, मुकेश के घर से रमेश के घर तक, चन्द्रशेखर वाली गली, चौक पप्पन के घर से बद्धीप्रसाद के घर तक एवं अन्य गलियों में नाली व इंटरलाकिंग सङ्क का निर्माण कार्य।	456.567

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी शेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मतिन वसितियों में सी०री० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की रक्खापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलेप शहरी शेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मतिन वसितियों में सी०री० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की रक्खापना योजना हेतु स्वीकृत दीर्घी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रामात् होने के पश्चात् फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सामन्य रक्खापन कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकाप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राधान स्तर से तकनीकी रीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवगुक्त की जा रही धनराशि के सापेदा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तकाल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाएँ या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुसंगत प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्माण कार्य राम्यादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवगुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवगुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित भद्र में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कम्शः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानिधग केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कलोती राम्याद्य अनिवार्य गिरिक जायेगा।



१९५/५

दूरध्वाप - 2286709  
2286710

नव चेतना होम्स, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। यिसी प्रकार का व्यवहारित अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कग में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैराघ्यता हो रही हो तो उसकी रूचना अधिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संगुक्त लप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगाम के सापेक्ष प्रथम किरत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)

पितृ नियन्त्रक

V

## पत्रांक एवं दिनांक तादेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अपि० अधियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर रोल / लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)

पितृ नियन्त्रक

V